		किया गया।
3	आमजन (अशिक्षित से लेकर उच्च शिक्षित/उच्च पदस्थ व्यक्ति) को संतुष्ट करने की असाधारण क्षमता का उपयोग करते हुए स्थल पर ही तत्काल समाधान करने, निर्णय की उच्च गुणवत्ता एवं अभिलेखीय व स्थलीय जांच (Inspection) आख्या (Reporting) एवं निर्णय (Decision) की बाध्यता को दृष्टिगत रखते हुये लेखपाल का पदनाम राजस्व उपनिरीक्षक अथवा ग्राम राजस्व अधिकारी और अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक करने व नियुक्ति प्राधिकारी जिलाधिकारी को बनाया जाना।	लेखपाल का पदनाम राजस्व उपनिरीक्षक अथवा ग्राम राजस्व अधिकारी के संबंध में मा0 परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के नामों को शासन द्वारा परिवर्तन किया जा चुका है। अतः लेखपाल का पदनाम राजस्व उपनिरीक्षक किये जाने पर मत स्थिर किया गया। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक करने के प्रकरण में पॉच जिलाधिकारियों से वर्तमान में लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 में चयनित अभ्यर्थियों के विवरण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। इस संबंध में पृथक से कार्यवाही की जायेगी। जहॉ तक नियुक्ति प्राधिकारी उप जिलाधिकारी के स्थान पर जिलाधिकारी को बनाये जाने का प्रश्न पर सम्यक विचारोपरान्त यह मत स्थिर किया गया कि इसका कोई औचित्य नहीं है।
4	प्रशासनिक एवं जनहित एवं कर्मचारी हित में विचार करते हुए लेखपाल सेवा नियमावली में स्थानान्तरण व्यवस्था में नियम- 24 (1) में संशोधन करते हुये "मण्डलायुक्त अपने विवेक से किसी लेखपाल का स्थानान्तरण मंडल के भीतर कर सकेगा।" के स्थान पर "किसी लेखपाल के निजी अनुरोध पर मण्डलायुक्त उसका स्थानान्तरण मण्डल के भीतर और राजस्व परिषद मण्डल के बाहर कर सकेगा।" प्रतिस्थापित किया जाये और नियम -4 (3) में लेखपाल का संवर्ग मण्डल के स्थान पर पूर्ववत जिला पुनः स्थापित किया जाये।	लेखपाल को अति विशिष्ट परिस्थितियों यथा- गम्भीर बीमारी, पति व पत्नी के पृथक-पृथक जनपदों में तैनाती के दृष्टिगत लेखपाल के स्थानान्तरण परिषद द्वारा अन्य जनपदों में उनके निजी अनुरोध पर जिलाधिकारियों की अनापत्ति प्राप्त किये जाने के पश्चात करने पर मा0 परिषद द्वारा तदनुसार नियमावली में संशोधन हेतु मत स्थिर किया गया।
(क)	मा0 राजस्व परिषद के प्रस्ताव दिनांक 13.01.2016 के अनुसार राजस्व निरीक्षक (क्षेत्रीय) के 590 पदों के सृजन का शासनादेश तत्काल निर्गत किया जाये तथा राजस्व निरीक्षकों के 5 लेखपालों पर 1 राजस्व निरीक्षक के अनुपात में पद सृजित किये जाये।	लेखपाल सम्वर्ग में प्रोन्नति के अवसरों की कमी एवं राजस्व निरीक्षक के विभिन्न प्रशासनिक दायित्वों व प्रदेश में राजस्व संहिता प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप राजस्व निरीक्षक के कार्यों में हुई अतिरिक्त वृद्वि को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व निरीक्षक के 590 पदों की वृद्वि किये जाने के संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का मा0 परिषद द्वारा निर्णय लिया गया।
(ख)	प्रत्येक तहसील में एक पद कम्प्यूटर प्रभारी (खतौनी आदि के कार्य हेतु) एक पद भूलेख अधिष्ठान (लेखपालों के वेतन, पेंशन, जी0पी0एफ0/एन0पी0एस0 आदि के कार्य हेतु) व एक पद निर्वाचन प्रभारी के लिए	विभिन्न निर्वाचन, भूलेख अधिष्ठान एवं अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण आदि दायित्वों एवं कार्यों में वृद्वि हो जाने व प्रदेश में राजस्व संहिता प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप राजस्व निरीक्षक के कार्यों में हुई अतिरिक्त वृद्वि को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व